



## कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चक्रराता वन प्रभाग, चक्रराता

पत्रांक:- ४९९२ / १२ - १

चक्रराता, दिनांक १० मई २०२३

सेवा में,

वन संरक्षक,  
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,  
देहरादून।

विषय:-

जनपद देहरादून के विधानसभा विकासनगर के ग्राम-हरिपुर मे मुख्य मार्ग से जूनियर हाईस्कूल की ओर सड़क निर्माण हेतु 0.1134 हेतु वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ :-

1-आपका ई०डी०एस० दिनांक 14.03.2023

2-प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/146873/2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में लगाई गई आपत्ति की निराकरण आख्या प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने पत्रांक-639 / ६सी दिन 06.05.2023 एवं आनलाईन ई०डी०एस० क्वैरी दिनांक 10.05.2023 से इस कार्यालय को उपलब्ध करा दी गई है। प्रस्तावक विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई निराकरण आख्या निम्नानुसार प्रेषित है –

क्र० सं०	शर्त/प्रतिबन्ध	अनुपालन आख्या
1	Part-I के अतिरिक्त सूचना में Administrative Approval अपलोड किया जाना अपेक्षित है।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति Part-I के अतिरिक्त सूचना में अपलोड कर दी गई है।
2	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले Part-II के पैरा-2 में परियोजना में प्रभावित होने वाली आरक्षित वन दशायी गई है। तथा Part-II के पैरा-4(ii) में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या शून्य दर्शायी गई है। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रस्तावित परियोजना के KML File के अवलोकन से यह दृष्टिगत हो रहा है कि उक्त परियोजना में वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। अतः उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करें साथ ही सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी को अपने स्तर से उक्त क्षेत्र की Site Visit कर Site Visit Report प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।	अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्तावित मार्ग निर्माण स्थल का Site Visit किया गया। प्रस्तावित मार्ग निर्माण समरेखण में मौके पर कोई वृक्ष नहीं पाये गये। समरेखण के आस-पास मात्र झाड़ियां विद्यमान हैं। Site Visit Report संलग्न है।



3	Part-I के पैरा-B-2.3 में Village wise breakup 'NIL' भरा गया है उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करें।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित मार्ग आरक्षित वन भूमि से गुजर रहा है जिसमें सिविल भूमि रिक्त है जिस हेतु Village wise breakup ऑनलाईन व ऑफलाईन रिक्त भरा गया है।
4	लाभान्वित होने वाले ग्रामों एवं स्कूल का नाम विस्तृत विवरण जनसंख्या सहित उल्लेख करते हुये Justification पुनः तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न किया जाये।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित मार्ग निर्माण में ग्राम-हरिपुर के क्षेत्रवासी एवं जूनियर हाईस्कूल विद्यालय में अध्ययनरत छात्र मोटर मार्ग की सुविधा से लाभान्वित होंगे। ग्राम-हरिपुर (कोड 00483500) की आबादी 1231 एवं जूनियर हाईस्कूल में अध्ययनरत छात्रों की संख्या लगभग 250 है। Justification पुनः तैयार कर संलग्न प्रेषित है।

संलग्नक :—उपरोक्तानुसार

भवदीया

  
(कल्याणी)

प्रभागीय वनाधिकारी,  
चक्रारता वन प्रभाग, चक्रारता  


**SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF**  
 (for the forest land to be diverted under FCA)

1. Proposal has been received by this office from आधिकारी आशेपता श्रमिक वर्ष for diversion under FCA, 1980 for non-forest purpose. The Project envisages the use of forest land for construction. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated 13/04/2023.

2. In inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a F/PF/un-classed/Protect forest measuring 0.1134 ha.

3. The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col 2 part 1 is unavoidable and is barest minimum required for the project. Yes

4. Whether any rare / endangered / unique species of flora and fauna found in the area. If, the details thereof. No

5. Whether any protected archeological / heritage sites / defense establishment or any other important monuments is located in the area, if, the details thereof with IEOC from competent authority, if required. No

6. The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction. Yes  
 It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation), Act, 1980 provisions. A detail report as per para 19 of chapter 1, Para C of Handbook of forest (Conservation) Act, 1980 is attached. No

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

(Signature)

Date:- RALST  
 Date 13/04/2023

Name चक्रवर्ती संस्कार  
 Designation चक्रवर्ती पन प्रभाग  
 Office Seal चक्रवर्ती

- B.  state the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.  
 out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forests, Government of India for proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.

(प्रपत्र-11 )

## Justification of Land

इस सड़क मार्ग निर्माण होने से रथाई/अरथाई रोजगार उत्पन्न होगा। ग्रामीण अपनी दैनिक जरूरतों का सामान आदि लेने नजदीक के बाजार में आ जा सकेंगे। इस सड़क मार्ग से हरिपुर की जनसंख्या एंव जूनियर हाई स्कूल संयोजित हो रहे हैं। इस मार्ग के निर्माण से आस-पास के छात्र-छात्राओं एंव अध्यपक गणों के स्कूल पहुंचने में सुविधा प्राप्त होगी जिससे समय की बचत होगी। बरसात के मौसम में इस मार्ग पर अत्याधिक पानी के जमाव एंव कीचड़ होने के कारण छात्र-छात्राओं एंव अध्यापक गणों को बहुत असुविधा होती है एंव मार्ग कच्चा होने के कारण फिसलने से छात्र-छात्राओं के चोटिल होने की सम्भावना बनी रहती है। यह एकमात्र समरेखण कम लम्बाई का है जिससे ग्राम हरिपुर एंव जूनियर हाई स्कूल को जोड़ा जा सकेगा। इस सड़क के निर्माण की अत्यन्त आवश्यकता है जिसके लिये वन भूमि हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी।

प्रस्तावित मार्ग निर्माण से ग्राम हरिपुर के क्षेत्रवासी एंव जूनियर हाई स्कूल विद्यालय में अध्ययनरत छात्र मोटर मार्ग की सुविधा से लाभान्वित होंगे। ग्राम हरिपुर (कोड 00483500) की आबादी 1231 एंव जूनियर हाई स्कूल में अध्ययनरत छात्रों की संख्या लगभग 250 है।

अपर सहायक अभियन्ता  
अ०ख०, ल००नि०वि०  
सहिया

सहायक अभियन्ता  
अ०ख०, ल००नि०वि०  
सहिया

66/०५/२३  
अधिशासी अभियन्ता  
अ०ख०, ल००नि०वि०  
सहिया

Rhal  
वन क्षेत्राधिकारी  
रीवर रेंज डाकपत्थर

उप-प्रभागीय वनाधिकारी  
चकराता वन प्रभाग  
कालसी

प्रभागीय घनाधिकारी  
चकराता वन प्रभाग  
चकराता